न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 833 / 2023

अनवान : –

1. सुनील पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मैना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मैना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 5/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115 / 30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1260 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा व रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 109 / 115 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 121 / 30 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.4790 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि मृतक रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के से दर्ज है जो कि वादी का पिता है रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम का देहान्त हो चुका है रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की दादी है तथा प्रतिवादीया संख्या 3 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना [illegible] था अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के [illegible] पुत्र / पोता / भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 [illegible] उपरोक्त भूमि में [illegible]क हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1260 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 109/115 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा में वादी काबिज है एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 121/30 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.4790 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 19 एनटीआर खाता संख्या 121 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2076–2079 रोही मौजा 16 एनटीआर खाता संख्या 115 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा 17 एनटीआर खाता संख्या 109 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र रामस्वरूप प्रदर्श–4, सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–5 आदि प्रदशिर्त करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता रामस्वरूप का देहान्त हो चुका है [illegible] के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है [illegible] उक्त वादे भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद मे प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1260 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 109/115 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 121/30 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.4790 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 ने उक्त वाद भूमि में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1260 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 109/115 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में [illegible] हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतक रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम [illegible] जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 [illegible]टीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 833 / 2023
अनवान : –

1. सुनील पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. गीता देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. रामप्यारी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. कमला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. मैना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
6. मैना पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 833 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/2024

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 115 / 30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.1260 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा व रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 109 / 115 के कुल खसरे 21 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतक रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 121 / 30 के कुल खसरे 13 का कुल क्षेत्रफल 2.4790 है0 भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में मृतक रामस्वरूप पुत्र ख्यालीराम का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीया संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर